

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या: 26493 / सात लाई0-48 / आबकारी नीति-2025 / देहरादून: दिनांक: मार्च, 26, 2026

::सार्वजनिक विज्ञापितः

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 व 2027-2028 की अवधि हेतु जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा की अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन द्वितीय चरण के अधिकतम ऑफर के माध्यम से निम्नानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाना है:-

क्र.स.	विवरण	दिनांक
01	द्वितीय चरण के अधिकतम ऑफर पर मदिरा दुकानों का आवंटन हेतु आवेदन एवं आवंटन की तिथि व समय	दिनांक 27.03.2026 को प्रातः 10 बजे से सांय 03 बजे तक ऑफर प्राप्त किये जायेंगे तथा प्रातः ऑफर सांय 5:00 बजे से जिला सभागार कलेक्ट्रेट पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में खोले जायेंगे।

जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा की अवशेष व्यवस्थापित की जाने वाली विदेशी मदिरा दुकानों का विवरण निम्नवत् है:-

जनपद	मदिरा दुकान का नाम व प्रकार
पिथौरागढ़	(1) विदेशी मदिरा दुकान डीडीहाट (2) वि०म०दु० बुंगाछीना (3) वि०म०दु० जोरासी (4) वि०म०दु० देवलथल (5) वि०म०दु० डूनी/टिम्टा (नवसृजित) (6) वि०म०दु० खिरमाण्डे (नवसृजित) (7) वि०म०दु० खांकर (नवसृजित) (8) वि०म०दु० तवाघाट (नवसृजित) (9) देशी मदिरा दुकान जौलजीबी (10) दे०म०दु० जाजरदेवल (नवसृजित) (11) दे०म०दु० बलुवाकोट (नवसृजित) (12) दे०म०दु० ओगला (नवसृजित) (13) दे०म०दु० सुवालेख (नवसृजित) (14) दे०म०दु० मुनरयारी (नवसृजित) (15) दे०म०दु० बनकोट (नवसृजित) (16) दे०म०दु० उडियारीबैण्ड/चौकोड़ी (नवसृजित) (17) दे०म०दु० तेजम (नवसृजित) (18) दे०म०दु० बांसबगड़ (नवसृजित)
अल्मोड़ा	(1) विदेशी मदिरा दुकान पनुवानोला (2) वि०म०दु० धौलछीना (3) वि०म०दु० जालली (4) वि०म०दु० क्वरोला (5) वि०म०दु० जोरासी (6) वि०म०दु० दौलाघट (नवसृजित) (7) वि०म०दु० खेड़ा (नवसृजित) (8) वि०म०दु० तिपोला (नवसृजित) (9) वि०म०दु० पनार (नवसृजित) (10) देशी मदिरा दुकान सोराल (11) दे०म०दु० पातली (नवसृजित) (12) दे०म०दु० जालली (नवसृजित)

उक्त मदिरा दुकानों हेतु उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 176/XXIII-1/2025-04 (01)/2025 देहरादून दिनांक: 05, मार्च, 2025 के अनुसार पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र (जी-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र (मूल रूप में)/एफ.डी.आर.(जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत), आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्षों का आई.टी.आर. प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर करना अनिवार्य होगा, 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 5 लाख का आई.टी.आर. प्रमाण पत्र अनिवार्य है, एवं निर्धारित धरोहर धनराशि जो कि वार्षिक निर्धारित राजस्व (EMD) (दोनों वर्षों के कुल राजस्व का 2% के बराबर की धनराशि) व प्रक्रिया शुल्क रू० 65 हजार (नॉन रिफण्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने की तिथि के बाद जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा के पदनाम से देय होगा।

द्वितीय चरण के अधिकतम राजस्व ऑफर में प्रथम चरण के ऑफरदाताओं को भी सम्मिलित किया जायेगा जिसमें उनके द्वारा प्रथम ऑफर हेतु जमा की गई प्रक्रिया शुल्क व धरोहर धनराशि मान्य होगी, जिसमें दुकानों हेतु प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुये उच्चतम राजस्व ऑफर प्राप्त किया जा सके। द्वितीय चरण के अधिकतम राजस्व ऑफर प्रक्रिया में यदि द्वितीय चरण के ऑफरदाताओं के द्वारा दिया गया राजस्व ऑफर प्रथम चरण में दिये गये ऑफर से कम होता है तो प्रथम चरण के अधिकतम ऑफरदाता के राजस्व ऑफर को राजस्व हित में स्वीकार करने के संबंध में विचार किया जायेगा। आवेदक आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) के उपबन्धों के अनुसार आवंटन के नियमों एवं शर्तों के भिन्न हो। दुकानों के आवंटन के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त का होगा। उक्त दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट [www.uttrakhandexcise.org.in](http://www.uttrakhandexcise.org.in) अथवा [www.uk.nic.in](http://www.uk.nic.in) व कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(अनुराधा पाल)  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

संख्या: 26494-98 / सात लाई0-48 / आबकारी नीति-2025 / देहरादून: तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा।
- 3- समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 4- जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि द्वितीय चरण के अधिकतम राजस्व ऑफर के पश्चात अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों की सूची वार्षिक राजस्व सहित एवं अन्य औपचारिकताओं के ब्योरे सहित आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025-26, 2026-27 व 2027-28 के अनुसार विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 5- हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड प्रादेशिक संस्करण में दिनांक 27.03.2026 को न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित करते हुये भुगतान हेतु बिल कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(अनुराधा पाल)  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।